B.Ed. 2nd Year
Session – 2018-2020
Subject – School Mangagement and Leadership
Course – 11(E) /Unit – 1(a)
Topic – **विद्यालय-संगठन के सिद्धांत**
(Principles of School-Organisation)

Dr. Amod Kumar Sinha
(Assistant Professor)
Department of Education
A.N. D. College
Shahpur Patory
Samastipur

Lecture No. - 80

किसी विद्यालय संस्था के प्रधान को संगठन के संबंध में दो प्रकार के कार्य करने होते हैं -

A) भौतिक साधनों की व्यवस्था करना एवं
B) मानवीय साधनों की व्यवस्था करना।

अतः किसी भी अच्छे संगठन के लिए आवश्यक है कि उसमें भौतिक साधनों के उपयोग की समुचित व्यवस्था हो एवं उससे संबंधित सभी व्यक्तियों का प्रयास उसे प्रगतिशील बनाने का रहना चाहिए।

विद्यालय संगठन के लिए निम्नांकित सिद्धांत आवश्यक हैं -

1. उसका समाज के वर्त्तमान सामान्य उद्देश्यों पर आधारित होना, किन्तु भावी आवश्यकताओं के संदर्भ में गतिशील होना।
2. उसका शिक्षा-प्रणाली के अंतर्गत विद्यालय की विशिष्टता के अनुरूप होना।
3. उसका छात्रों की भिन्न-भिन्न योग्यता, रूचि और बुद्धि के अनुसार गठन होना।
4. उसके अन्तर्गत छात्रों के लिए मूलभूत मानसिक, शारीरिक, सामाजिक एवं शैक्षिक कुशलताओं के शिक्षण का प्रावधान होना।

5. उसके अन्तर्गत शिक्षको को छात्रों के संबंध में घनिष्ठ परिचय प्राप्त करने हेतु अधिकतम परस्पर संपर्क के अवसर प्रदान करने की व्यवस्था का होना।
6. संगठन के अन्तर्गत छात्रों का शैक्षिक उद्देश्यों की दृष्टि से वर्गीकरण करना।
7. संगठन का गठन इस प्रकार किया जाना चाहिए जिससे समय, स्थान, शिक्षक और अन्य साधनों के उपयोग में अधिकतम लचीलापन हो।
8. संगठन का छात्रों के सीखने-संबंधी कार्यक्रम की एकता एवं उनकी निर्वाध वृद्धि में सहायक होना।
9. संगठन का मनोविज्ञान, मानसिक स्वास्थ्य एवं बाल-विकास के सिद्धांतों के अनुरूप होना।
10. संगठन का सरल एवं प्रशासनिक दृष्टि से व्यावहारिक होना।
11. संगठन को प्रचातांत्रिक सिद्धांतों एवं प्रक्रियाओं के अनुरूप होना तथा इसका प्रजातन्त्रीय कार्य-विधि एवं व्यवहार के सीखने में सहायक होना।
12. संगठन का स्थानीय परिस्थितियों से विवेकपूर्ण एवं प्रभावशाली ढंग से संबंधित होना।

To be continued....